(1)

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट

रीवा, जिला रीवा, (म.प्र.)

R. 5202- दा/16

1. सुरतनिया पत्नी लालमन कुम्हार; उम्री 67 वर्ष,
2. रामलखन पुत्र स्व. लालमन कुम्हार, उम्री 42 वर्ष,
3. रामकृपाल पुत्र स्व. लालमन कुम्हार, उम्री 38 वर्ष,
4. रेशमी बाई पत्नी हीरामन कुम्हार,
5. विजय बहादुर पुत्र स्व. हीरामन कुम्हार, उम्री 15 वर्ष,
6. रामजी पुत्र स्व. हीरामन कुम्हार, उम्री 14 वर्ष,
7. रामनरेश पुत्र स्व. हीरामन कुम्हार, उम्री 13 वर्ष,
8. सुनीता पुत्री स्व. हीरामन कुम्हार, उम्री 16 वर्ष,
9. रंगलाल तनय पमारु कुम्हार,
10. शेषमन तनय पमारु कुम्हार,

निगरानीकर्ता क. 5 ता 8 नाबालिग जरिये वली माता रेशमी बाई पत्नी हीरामन कुम्हार,

सभी निवासी ग्राम हट्टा, तहसील देवसर, जिला सिंगरौली, (म.प्र.)

..... निगरानीकर्तागण / आवेदकगण

श्री राकेश कुमार तिवारी
एड. द्वारा पेश)
4-5-16

4-5-16

बनाम

1. छोटेलाल कुम्हार पिता रघुराई कुम्हार,
2. मंहगी देवी पति बाबूलाल कुम्हार,

दोनो निवासी ग्राम हट्टा, तहसील देवसर, जिला सिंगरौली, (म.प्र.)

..... गैर निगरानीकर्तागण / अनावेदकगण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5202–दो/16 *जिला* – सिंगरौली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02.1.17	आवेदक के अधिवक्ता श्री राकेश कुमार निगम उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 304/अपील/2009–10 में पारित आदेश 18–3–16 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण संक्षित इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार तहसील देवसर वृत्त बरगवां के में आवेदक द्वारा कब्जा दर्ज करने का आवेदन दिया था जिसका प्रकरण कमांक 1/अ–6/90–91 में पारित आदेश दिनांक 11–10–90 को कब्जा दर्ज करने का आदेश दिया था जिसमें न्यायालय ने पाया था कि आवेदक का पुस्तैनी कब्जा दखल चला आ रहा था उसी आधार पर कब्जा दर्ज करने का आदेश दिया थां अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुस्तैनी कब्जा दखल अभिलेख के आधार व बीस बर्षो से अधिक तक कब्जा प्रमाणित होने पर आवेदक को भूमि स्वामी दर्ज करने का आदेश दिया था। विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत इश्तहार का प्रकाशन किया था, इश्तहार प्रकाशन होने के आधार पर व प्रकरण में कोई आपत्ति न होने से विधिवत आदेश पारित किया था। विचारण न्यायालय द्वारा मौके का पटवारी प्रतिवेदन मंगाया था। पटवारी मौके पर गया व पटवारी द्वारा अपने प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख किया था कि अपीलांट का पुस्तैनी कब्जा दखल है।	

अनावेदक द्वारा उक्त विचारण न्यायालय के आदेश की जानाकरी पूर्व से थी व अनावेदकगण सहमत थे। लेकिन बाद में आपस में मनमुटाव होने के कारण म्याद बाधित अपील दायर की दी गई। जिसे अपीलीय न्यायालय ने स्वीकार कर भूल की है। विवादित आराजी में अपीलांट का पुस्तैनी कब्जा दखल था। पुस्तैनी कब्जा दखल के आधार पर आपसी रजिस्टर्ड विभाजन पत्र तैयार किया था। उसी विभाजन पत्र के आधार पर उक्त विवादित आराजी पर महगी देवी का कब्जा दखल है, लेकिन महगी देवी को पक्षकार नहीं बनाया था, जबकि महगी देवी उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार थीं लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बात पर ध्यान न देकर कानूनी भूल की है। अपर आयुक्त रीवा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया है। इसी से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में सुरतनिया आदि द्वारा प्रस्तुत की है।

3— आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्क में कहा है कि तहसीलदार के न्यायालय में प्रथम व द्वितीय आदेश पत्रिका में दिनांक अंकित नहीं किया गया और ना ही तारीख पेशी अंकित नहीं किया। आदेश पत्रिका की साईड में अगूंठा निशानी लगा हुआ है। अनावेदक को सूचना नही दी गई। उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि अपीलीय न्यायालय उक्त तथ्यों एवं विधिक बिन्दुओं और अनुविभागीय अधिकारी महोदय के द्वारा विधि समस्त आदेश की अनदेखी करके आदेश पारित

किया है इसलिये आदेश त्रुटिपूर्ण है विधि सम्मत नहीं है अर्थात काबिल निरस्तगी है। अंत में निवेदन किया गया है आवेदक की निगरानी स्वीकार की जावे।

4— आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा उनके द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है।

5—अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा अपने आदेश में विस्तृत विवेचना की है उसे दौहराने की आवश्यकता नहीं है। अतएव उक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा का प्रकरण विधि प्रावधानों से उचित प्रतीत होता है। परिणामस्वरूप अपर आयुक्त रीवा के आदेश दिनांक 18.3.16 स्थिर रखा जाता है। आवेदक की निगरानी अग्राह की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा0द0 हो।

सदस्य